-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 16.08.2026

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

❖ **थाना तिंदवारी, थाना चिल्ला व एसओजी की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा मा0 न्यायालय से पेशी के दौरान चकमा देकर फरार होने वाले 25 हजार रुपए के इनामिया अभियुक्त को पुलिस मुठभेड़ में किया गया गिरफ्तार ।**

विवरण- पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण लगाये जाने तथा वांछित अभियुक्तो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक बांदा श्री शिवराज के निकट पर्यवेक्षण व सहायक पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी नगर सुश्री मेविस टॉक व क्षेत्राधिकारी सदर श्री सौरभ सिंह के नेतृत्व में थाना तिंदवारी व एसओजी की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा मा0 न्यायालय से पेशी के दौरान एनडीपीएस एक्ट के फरार 25 हजार रुपए के इनामिया अभियुक्त को पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया गया है । गौरतलब हो कि दिनांक 14.08.2026 को मा0 न्यायालय में पेशी के दौरान एनडीपीएस एक्ट के अभियुक्त संजय को लॉकअप से मा0 न्यायालय ले जाते समय उसने बाथरूम जाने का बहाना बनाकर ड्यूटी पर तैनात हे0कां0 को चकमा देकर फरार हो गया था । जिसके सम्बन्ध में थाना कोतवाली नगर में अभियुक्त के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया था । अभियुक्त के गिरफ्तारी के हेतु पुलिस अधीक्षक बांदा द्वारा का तत्काल पुलिस टीमों का गठन किया गया था जिसकी तलाश एवं गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे थे । पुलिस टीमों द्वारा सीसीटीवी फुटेज एवं सर्विलांस के माध्यम से अभियुक्त की लोकेशन के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की गई । लगातार की जा रही कार्यवाही के क्रम में आज दिनांक 16.08.2026 थाना तिंदवारी पुलिस, थाना चिल्ला पुलिस व एसओजी की संयुक्त टीम बरेठी असकरन मोड़ पपरेंदा रोड पर थाना चिल्ला क्षेत्र में संदिग्ध व्यक्ति/वाहन की चेकिंग में मामूर थी । इसी दौरान मुखबिर की सूचना प्राप्त हुई कि एक संदिग्ध व्यक्ति एक व्यक्ति तमंचा लिए हुये मिरगहनी पुल से पहले सत्तीमाई मन्दिर के पास मौजूद है । सूचना पर पुलिस टीम द्वारा मौके पर पहुंचकर घेराबन्दी कर पकड़ने का प्रयास किया गया । इस दौरान अभियुक्त द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग की गई । आत्मरक्षार्थ पुलिस द्वारा की गई जवाबी फायरिंग में अभियुक्त के पैर में गोली लगी और वह घायल हो गया । घायल अभियुक्त को गिरफ्तार कर इलाज हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी स्थिति सामान्य है । बता दें पुलिस अधीक्षक बांदा द्वारा अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु 25 हजार रुपए का इनाम घोषित किया गया था । अभियुक्त संजय उर्फ तन्नु पुत्र जगदीश पर पूर्व से ही गैंगस्टर एक्ट व एनडीपीएस आदि सहित आधे दर्जन से अधिक मामलें दर्ज है ।

बरामदगी-

- 01 तमंचा 315 बोर
- 02 खोखा कारतूस 315 बोर
- 03 अदद जिंदा कारतूस 315 बोर ।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. संजय उर्फ तन्नु पुत्र जगदीश निवासी ग्राम खप्टिहाकलां थाना पैलानी जनपद बांदा ।

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0- 405/26 धारा 261/262 बीएनएस थाना कोतवाली नगर जनपद बांदा।
2. मु0अ0सं0- 109(1) बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना तिंदवारी जनपद बांदा।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त संजय उपर्युक्त-

1. मु0अ0सं0 197/2022 धारा 8/20/25 एनडीपीएस एक्ट थाना पैलानी जनपद बांदा।
2. मु0अ0सं0 272/2022 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना पैलानी जनपद बांदा।
3. मु0अ0सं0 75/2024 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना पैलानी जनपद बांदा।
4. मु0अ0सं0 316/2025 धारा 115(2)/351(2)/352(2) बीएनएस थाना पैलानी जनपद बांदा।
5. मु0अ0सं0 01/2026 धारा 2(B)(2)/3 गैंगस्टर एक्ट थाना पैलानी जनपद बांदा।
6. मु0अ0सं0 69/2026 धारा 8/20/29 एनडीपीएस एक्ट थाना चिल्ला जनपद बांदा।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. श्री संदीप कुमार सिंह थानाध्यक्ष तिंदवारी
2. उ0नि0 आनन्द कुमार साहू थानाध्यक्ष चिल्ला
3. श्री आनन्द कुमार प्रभारी एसओजी
4. श्री राजेश मौर्य प्रभारी सर्विलांस
5. उ0नि0 श्री गजेन्द्र सिंह
6. उ0नि0 श्री संतोष कुमार
7. हे0कां0 अश्वनी प्रताप सिंह
8. हे0कां0 विजय सिंह
9. कां0 प्रतीक
10. कां0 कमल सिंह
11. कां0 अमित कुशवाहा
12. कां0 अमित त्रिपाठी
13. कां0 रिषभ कुमार
14. कां0 महेन्द्र प्रताप सिंह
15. कां0 अमन मिश्रा
16. कां0 शिवजीत सिंह
17. कां0 सचिन कुमार